संख्या-21/2015-225/नौ-5-2015-360बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर/बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत 02 नगर पालिका परिषदों को सड़कों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में **₹ 742.95 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल **₹ 371.47 लाख (₹ तीन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	**फतेहपुर**	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर	567.74	282.87
2	**फतेहपुर**	नगर पालिका परिषद, बिन्दकी	177.21	88.60
		योग (क्रमांक-1 से 2)	742.95	371.47

(₹ तीन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

Yours

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-**नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान**' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2015-225(1)/नौ-5-2015-360बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. कोषाधिकारी, फतेहपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर/बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-21/2015-225/नौ-5-2015-360बजट/2014, दिनांक 19 फरवरी,2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फतेहपुर	नगर पालिका परिषद, बिन्दकी	1. मोहल्ला हजरतपुर थथराही में राजू आचार्या के मकान से लल्लू के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	3.88	
			2. रजोला के मकान से डुण्डावर मन्दिर तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	22.71	
			3. मोहल्ला जहानपुर में मुगल रोड से बाबा मन्दिर एवं राधेश्याम के मकान से कालीजी तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	23.27	
			4. मोहल्ला पुरानी बिन्दकी में छोटे लाल कपडिया के मकान से हीरादास रैदास के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	4.51	
			5. मोहल्ला छिपहटी में कालिया मेम्बर के मकान से मुगल रोड तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	6.10	
			6. मोहल्ला कुँवरपुर रोड से कालदीन कमाल के घर तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	3.04	
			7. मोहल्ला आजाद नगर में कुँवरपुर रोड से आदित्या भवन के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	12.18	
			8. मोहल्ला बाराती नगर में बाँदा सागर रोड से पवन लाल लिंक लेन्स के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	19.65	
			9. मोहल्ला हजरतपुर थथराही में राम शंकर के मकान से यूनुस के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	8.67	
			10. कैलाश के मकान से विमला देवी के मकान के पीछे तहसील तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली	3.04	
			11. मोहल्ला जहानपुर पश्चिमी में दिनेश गुप्ता के मकान से ईश्वर प्रसाद एवं मन्दिर तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	6.70	
			12. मोहल्ला मीराखपुर लेन में इस्माइल के मकान से फिदा हुसैन के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	3.37	
			13. पालिका परिसर लेन में मीटिंग हॉल तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	6.68	

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2015-225(1)/नौ-5-2015-360बजट/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. कोषाधिकारी, फतेहपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर/बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-21/2015-225/नौ-5-2015-360बजट/2014, दिनांक 6 फरवरी,2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
			14. मोहल्ला मीराखपुर में राम भरोसे के मकान से घनश्याम शुक्ला के मकान एवं लिंक लेन्स तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	10.71	
			15. मोहल्ला हजरतपुर थथराही में कन्हैया लाल के मकान से संजय कुमार एवं राजू के मकान से हरी सिंह के मकान तक सी.सी.इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	8.50	
			16. मोहल्ला मीराखपुर में रमाकान्त बाजपेई के मकान से सैयद बाबा होते हुए आदर्श पब्लिक स्कूल तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	5.72	
			17. मोहल्ला काजियाना दक्षिणी में मुकीम कुरैशी के मकान से मदरसा फैजुल्ला के किनारे तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	4.48	
			18. मोहल्ला लंका केवतरा में राजेश निषाद के मकान से शकील के मकान तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	10.88	
			19. मोहल्ला लाहोरी में छोटी देवी मन्दिर से इमामबाड़ा तक सी.सी. इंटलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण	13.12	
			योग	177.21	88.60
2	फतेहपुर	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर	1. अवन्ती बाई चौराहे से खाद गोदाम बाँदा सागर रोड तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य	20.05	
			2. पत्थरकटा चौराहा से शादीपुर चौराहा तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य	91.98	
			3. पत्थरकटा चौराहा से एस0पी0आवास होते हुए नई तहसील चौराहा तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलाकिंग टायल्स लगाने कार्य	99.81	
			4. शादीपुर चौराहे से रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य	24.06	
			5. पटेल नगर चौराहा से आई0टी0आई0 रोड का चौड़ीकरण् एवं सुदृढ़ीकरण (बाँदा सागर रोड तक) कार्य	141.92	
			6. शादीपुर नाका से ओवर ब्रिज व पी0डब्लू0डी0 ऑफिस तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य	71.55	
			7. पत्थरकटा चौराहा से सदर हास्पिटल तक सुदृढ़ीकरण कार्य	116.37	
			योग	565.74	282.87
			महायोग (क्रमांक-1 से 2)	742.95	371.47

(₹ तीन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-19/02/2015

प्रेषण संख्या:- 21-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-21-2015-225-9-5-2015-360Bud-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फतेहपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	37147000 37147000	37147000 37147000
	योग	वर्तमान प्रगामी	37147000 37147000	37147000 37147000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इकत्तर लाख सैंतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इकत्तर लाख सैंतालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव